राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ.2 (क) (आर—675) अलेसे— I / 1517 दिनांकः— 17/10/22

श्री राकेश कुमार शर्मा,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड— I,
कार्यालय क्षेत्रीय पर्यावरण अभियंता (उत्तर),
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
जयपुर।

कारण बताओ नोटिस

विषयः— निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र / दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने के संबंध में।

संदर्भः— निदेशालय का स्थानान्तरण आदेश संख्या 27 / 2021—22 दिनांक 30.09.2021 एवं परिपत्र क्रमांक 2070 दिनांक 27.10.2021, 1280 दिनांक 04.02.2022 व 279 दिनांक 17.05.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय क्षेत्रीय पर्यावरण अभियंता (उत्तर), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर से कार्यालय कोषाधिकारी (सचिवालय), जयपुर में रिक्त पद पर किया जाकर निर्देशित किया गया था कि आप तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स एवं विभागीय ई—मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस निदेशालय को भिजवावे। परन्तु स्थानान्तरण होने के लगभग 1 वर्ष पश्चात् भी आप द्वारा नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है तथा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.10.2021, 04.02.2022 व 17.05.2022 को भी नजरअंदाज कर पूर्व पदस्थापित कार्यालय में ही कार्य करते रहे है, जो कि गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं राजकीय आदेशों की अवहेलना करने के लिए आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—I)

क्रमांकः— एफ.2 (क) (आर—675) अलेसे— I / 1518-1521 दिनांकः— 17/10/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. क्षेत्रीय पर्यावरण अभियंता (उत्तर), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
2. कोषाधिकारी (सचिवालय), जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक— I)